Government of Rajasthan,
Department of Science & Technology,

No. : F.12(30)DST/POP/NSD/2025/ Dated

## Expression of Interest

Expression of Interest is invited from reputed registered Govt and Private Educational Institutions/Research Institute/NGO/Non Profit Organizations for organizing Two days (27-28 Feb. 2025) Programs on the occasion of National Science Day. Sealed proposals in prescribed performa should be submitted upto 03.02.2025 till 3.00 PM to this office. Prescribed format comprising of detailed programme guidelines can be downloaded *from website dst.rajasthan.gov.in* or obtained from the following office:-

Head of the Office
Department of Science & Technology,
Government of Rajasthan,
Vigyan Bhawan,
Shastri Nagar, Jaipur

Z:\Local Disk\RSC_2024-25\NSD 2025\EOI NSD 2025 -corected.doc

राजस्थान सरकार
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दिनांक 28.02.2025 को जयपुर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस–2025 का आयोजन किया जा रहा है। भौतिक वैज्ञानिक सी.वी. रमन द्वारा महान खोज **''रमन इफेक्ट''** की पुष्टि 28 फरवरी 1928 के दिन हुई थी। इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबल पुरस्कार दिया गया था। इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु राज्य की संस्थाओं से इच्छा के अभिव्यक्ति आमंत्रित किये गये है। इच्छा की अभिव्यक्ति हेतु आवेदन भरने के दिशा निर्देश निम्नानुसार हैः–

1. इच्छुक संस्थाओं द्वारा निर्धारित आवेदन प्रपत्र में इच्छा की अभिव्यक्ति निदेशक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान भवन, शास्त्री नगर, जयपुर को बंद लिफाफे में दिनांक ............... को मध्यान्ह .............. बजे तक प्रस्तुत की जानी अनिवार्य हैं। इसके पश्चात प्राप्त होने वाली इच्छा की अभिव्यक्तियों पर विचार नही किया जायेगा।
2. गैर लाभकारी संस्थायें (Not for profit organizations) जैसे NGO's / Research Institute / गैर सरकारी संस्थायें / सरकारी संस्थायें / शैक्षणिक संस्थाऐं इस कार्यक्रम के आयोजन की पात्र होंगी।
3. संस्था द्वारा निर्धारित आवेदन प्रपत्र बंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जायेगा तथा लिफाफे पर *"इच्छा की अभिव्यक्ति हेतु (विज्ञान दिवस–2025 आयोजन) आवेदन प्रपत्र"* अंकित किया जावे।
4. चयनित गैर लाभकारी संस्थायें (Not for profit organizations) जैसे NGO's / Research Institute /गैर सरकारी संस्थायें / सरकारी संस्थायें / शैक्षणिक संस्थाऐं द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम के अधीन संलग्न कार्यक्रम *अनुलग्नक –'ब'* के अनुसार आयोजित करने होंगे। इन कार्यक्रम हेतु विभाग द्वारा वित्तीय अनुदान (अनुमानित 20.00 लाख रू.) प्रदान किया जायेगा। जिसका निर्धारण विभागीय समिति की अनुशंषा के उपरान्त किया जायेगा।
5. संस्था को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस–2025 आयोजन हेतु विस्तृत कार्यक्रम प्रस्तुत करना होगा।
6. आवेदक संस्था के अधिकृत व्यक्ति द्वारा आवेदन पत्र एवं संलग्नकों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर व मोहर लगाई जानी आवश्यक हैं। इसके अभाव मे, आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता हैं।
7. राष्ट्रीय विज्ञान दिवस–2025 का आयोजन एक या एक से अधिक संस्थाओ के संयुक्त तत्वाधान में किया जा सकता है।
8. इच्छुक संस्था द्वारा उक्त कार्यक्रम का विस्तृत कार्यक्रम योजना प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही कार्यक्रम के आयोजन से संबंधित गतिविधियों का मदवार विवरण मय व्यय विवरण प्रस्तुत करना होगा।

9. संस्था द्वारा आयोजित की जाने वाली गतिविधियों/कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को उपलब्ध कराये जाने वाले भोजन, चाय–नाश्ता, ट्रांसपोर्ट, पोस्टर, बेनर, फोटोग्राफी इत्यादि (सभी सम्भावित व्यय) के खर्चे का सम्भावित मद वाइज ब्यौरा बनाकर प्रस्तुत करेंगे। यदि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद से अधिक व्यय हो तो उसका व्यय भार स्वयं संस्था को वहन करना होगा, जिसका विस्तृत विवरण *अनुलग्नक – 'ब'* के अनुसार होगा।

10. संस्था द्वारा आवेदन प्रपत्र विभाग में जमा करवाने के पश्चात आवेदन प्रपत्र में कोई परिवर्तन/संशोधन स्वीकार नही किया जाएगा।

Head of the Office

Z:\Local Disk\RSC_2024-25\NSD 2025\EOI NSD 2025 -corected.doc

## विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

### <u>कार्यक्रम के आयोजन करवाने सम्बन्धी शर्ते</u>

1. इस राशि का उपयोग स्वीकृत उद्देश्य हेतु वित्तीय वर्ष निर्धारित तिथि 27 व 28.02.2025 को विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।
2. कार्यक्रम के आयोजन हेतु विस्तृत कार्यक्रम योजना, प्रचार प्रसार सामग्री यथा बैनर, पोस्टर, विज्ञापन एवं अन्य सामग्री का अनुमोदन विभाग से करवाना आवश्यक होगा।
3. चयनित संस्था के द्वारा सभी गतिविधियों व कार्यक्रम एक आयोजन समिति – जो निमित्त की जावे – उसका अनुमोदन इस कार्यालय से लिया जाना आवश्यक होगा।
4. इस आयोजन समिति द्वारा किये गये कार्य का निरीक्षण नामित विभागीय अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
5. प्रदर्शनी व गतिविधियों हेतु प्रतिभागियों/संदर्भ व्यक्ति/विशेषज्ञ आदि की व्यवस्था चयनित संस्था द्वारा आयोजन समिति के सदस्यों के परामर्श के अनुसार की जानी होगी।
6. चयनित संस्था द्वारा प्रदर्शनी व गतिविधियों हेतु चयनित आयोजन स्थल पर समस्त व्यवस्था स्वयं करनी होगी। साथ ही आयोजन में भाग ले रहे, प्रतिभागियों/आमंत्रित वैज्ञानिकों/अतिथियों को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस–2025 के आयोजन स्थल पर लाने की यथोचित व्यवस्था निर्धारित तिथि तक की जानी होगी।
7. प्रत्येक गतिविधि हेतु संदर्भ व्यक्ति/विशेषज्ञों, सामग्री, कच्चा माल, मानदेय, परिवहन, यात्रा भत्ता आदि समस्त व्यवस्था निर्धारित तिथि तक चयनित संस्था द्वारा की जानी होगी।
8. उक्त आयोजन में दर्शकों व छात्र/ छात्राओं की उचित संख्या (औसतन 500 प्रतिदिन) में भागीदारी की जिम्मेदारी भी चयनित संस्था की होगी।
9. चयनित संस्था द्वारा आयोजन कार्यक्रम में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी/स्वयं सेवक नियुक्त कर उन्हें सम्बन्धित जिम्मेदारी दी जानी होगी।
10. परियोजना पर व्यय की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षित व्यय विवरण मय सपोर्टिंग वाउचर, कार्यक्रम आयोजन की रिपोर्ट मय प्रतिभागियो की सूची कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् एक माह की अवधि में इस विभाग को भिजवायें जाने आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने होगें, साथ ही कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी विभाग को प्रस्तुत करनी होगी।
11. आवेदन पत्र में अंकित किसी भी शर्त/बिन्दु की व्याख्या का अन्तिम अधिकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का हैं।
12. चयनित संस्था से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार क्रय समिति द्वारा अनुमानित अनुदान दिया जा सकेगा। इससे अधिक व्यय होने पर चयनित गैर लाभकारी संस्थायें (Not for profit organizations) जैसे NGO's/ Research Institute /गैर सरकारी संस्थायें/सरकारी संस्थायें/शैक्षणिक संस्थाऐं द्वारा स्वयं के स्तर पर वहन करना होगा ।
13. स्वीकृत राशि से खरीदे गये उपकरण/मशीनें इत्यादि इस विभाग की सम्पत्ति होगें, ये संस्था में तब तक रहेगें जब तक कि इस संबंध में विभाग द्वारा अन्य कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किये जाते। संस्था इन उपकरणों/सम्पत्तियों का निस्तारण इस विभाग की स्वीकृति के बिना नहीं करेगी।
14. इस राशि द्वारा खरीदी गई सम्पत्ति के उपयोग का विभाग को पूर्ण अधिकार होगा।

15. संस्था द्वारा स्वीकृत राशि में से खरीदे गये सामान का पृथक रजिस्टर में इन्द्राज किया जावेगा तथा अन्य आवश्यक रिकॉर्ड पृथक से रखा जायेगा जिसे विभागीय ऑडिट पार्टी द्वारा चाहे जाने पर परीक्षण हेतु उपलब्ध कराना होगा। इन लेखों को विभाग के किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांगा जाने पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराना होगा।
16. चयनित संस्था को सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग प्रथम में अंकित सहायतार्थ अनुदान हेतु शर्तों के अनुरूप *अनुलग्नक –'स'* अनुबंध पत्र 500 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करना होगा।
17. परियोजना कार्यस्थल एवं परियोजना के अंतर्गत क्रय की गई सामग्रियों तथा परियोजना के संचालन हेतु मुद्रित सामग्री पर विभाग का नाम स्पष्ट अक्षरों में अंकित किया जाना आवश्यक होगा।
18. उपरोक्त शर्तो एवं गतिविधियों में आयुक्त, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनुमोदन उपरान्त परिवर्तन किया जा सकता है। कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में अन्तिम निर्णय आयुक्त, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का होगा।

उपरोक्तानुसार शर्तों पर आयोजन किए जाने हेतु संस्था सहमत है।

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर
सील

Z:\Local Disk\RSC_2024-25\NSD 2025\EOI NSD 2025 -corected.doc

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस–2025 के जयपुर में आयोजन हेतु आमंत्रित इच्छा की अभिव्यक्ति के अन्तर्गत

आवेदन करने हेतुः

आवेदन – प्रपत्र

| | | |
|---|---|---|
| 1. | संस्था का नाम | |
| 2. | पंजीकृत पता | |
| 3. | संस्था का दूरभाष नं. एवं फैक्स नं. (एस.टी.डी. कोड सहित) | |
| 4. | संस्था का ई–मेल | |
| 5. | संस्था का पंजीकरण संख्या एवं विवरण (गैर सरकारी संस्था होने की स्थिति में पजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित फोटोप्रति संलग्न, संस्था की स्थापना के उद्देश्यों की प्रमाणित प्रति भी संलग्न करें) | |
| 6. | अध्यक्ष / निदेशक / सचिव व्यक्ति का नाम, दूरभाष नं. (एस.टी.डी. कोड सहित) एवं मोबाइल नं. | |
| 7. | अधिकृत व्यक्ति का नाम, दूरभाष नं. (एस.टी.डी. कोड सहित) एवं मोबाइल नं. | |
| 8. | संस्था का प्रकार | गैर लाभकारी संस्थायें (Not for profit organizations) जैसे NGO's / गैर सरकारी संस्थायें / सरकारी संस्थायें / शैक्षणिक संस्थाए / Research Institute |
| 9. | संस्था का पेन खाता (PAN) | |
| 10. | संस्था का जी0एस0टी0 नम्बर (यदि लागु हो तो) | |
| 11. | संस्था का बैंक अकाउन्ट विवरण<br>खाताधारक का नाम<br>बैंक का नाम एवं पता<br>खाता संख्या<br>आईएफएससी कोड<br>मोबाइल नंबर<br>IFSC Code, Branch Address<br>Photo copy of pass book | |
| 12. | संस्था में नियोजित नियमित कर्मचारियों की संख्या, उनकी शिक्षा व अनुभव (गैर सरकारी संस्था )<br>(स्थाई कर्मचारी की सूची संलग्न करें ) | |

Z:\Local Disk\RSC_2024-25\NSD 2025\EOI NSD 2025 -corected.doc

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13. | संस्था (गैर सरकारी संस्था ) के आय के स्त्रोत गैर सरकारी संस्था | | | |
| 14. | संस्था (गैर सरकारी संस्था ) के विगत 3 वर्षों के अंकेक्षित लेखे (प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है) टर्नओवर (रू. लाख में) | 2021–22 | 2022–23 | 2023–24 |
| | | | | |
| 15. | भारत सरकार/ राजस्थान सरकार की संस्थानों/आयोग द्वारा विगत 3 वर्षों (2021–22, 2022–23, 2023–24) में स्वीकृत परियोजना/कार्यक्रम/ गतिविधि आदि का विवरण मय दस्तावेजों के (वर्षवार संलग्न करें) अनुलग्नक "द" | | | |
| 16. | संस्था द्वारा चलाई जा रही अन्य गतिविधियों का विवरण (संलग्न करें) | | | |
| 17. | अन्य (संस्था/संस्था के मुख्य कार्यकारी को दिये गये कुल पुरस्कार/प्रमाण पत्र का विवरण पत्र प्रतिलिपि संलग्न करें। ) | | | |
| 18. | राष्ट्रीय विज्ञान दिवस–2025 के आयोजन हेतु संस्थान के लैटरहैड पर दी जाने वाली अण्डरटेंकिंग (अनुलग्नक–अ) संलग्न की गई है अथवा नहीं। | | | |
| 19. | कार्यक्रम आयोजन हेतु सम्पर्क व्यक्ति का नाम एवं दूरभाष नम्बर | | | |

स्थान :

दिनांक :

सक्षम प्राधिकारी के
हस्ताक्षर मय सील

Z:\Local Disk\RSC_2024-25\NSD 2025\EOI NSD 2025 -corected.doc

(अनुलग्नक 'अ')

सहमति पत्र

(संस्थान के लैटरहैड पर दिया जाये)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार के द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस–2025, जयपुर में आयोजन हेतु ............................................................................................................................ ..........................................................................................(संस्था का नाम) इच्छा की अभिव्यक्ति की शर्तों पर सहमति प्रदान करती है।

साथ ही, यह संस्था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस–2025 के सफल आयोजन के लिए वांछित स्वयं के संसाधनों का उपयोग करने की सहमति प्रदान करती है।

स्थान :

दिनांक :

सक्षम प्राधिकारी के
हस्ताक्षर मय सील

(अनुलग्नक 'ब')

विज्ञान दिवस की थीम राष्ट्रीय स्तर पर जारी की जाती है। ये सभी कार्यक्रम उसी थीम पर आधारित होगें। सांकेतिक/संभावित गतिविधि निम्नानुसार होगी–

**A. प्रतियोगिताओं का आयोजन विद्यार्थियों के साथ –**

I. विज्ञान विषय पर आधारित वाद–विवाद प्रतियोगिता।
II. विज्ञान विषय पर आधारित क्विज प्रतियोगिता (विज्ञान/पर्यावरण आदि विषयों पर, मय ऑडियो/विजुअल प्रश्नोत्तरी)
III. विज्ञान विषय पर आधारित चित्रकला प्रतियोगिता।
IV. विज्ञान विषय पर आधारित निबंध प्रतियोगिता।
V. नवीन प्रौद्योगिकियों पर विज्ञान वार्ता कार्यक्रम।
VI. परमाणु जाग्रति पर कार्यक्रम।
VII. रमण प्रभाव का व्याख्यान।

**B. वैज्ञानिक संवाद –**

I. विशेषज्ञों द्वारा संवाद।
II. चमत्कारों की वैज्ञानिक व्याख्या।
III. Liquid Nitrogen show.
IV. Sky Watching through telescope.

**C. मॉडल प्रदर्शनी –**

I. विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी क्षेत्रीय स्तरीय (प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों/विभागों/शैक्षणिक संस्थाओं आदि द्वारा प्रदर्शनीय आयोजित करना।
II. प्रदर्शनी हेतु पांडाल एवं अन्य व्यवस्थायें करना।
III. वैज्ञानिक प्रक्रिया युक्त कार्यस्थलों का भ्रमण आदि विज्ञान आधारित कार्यक्रमों का आयोजन एवं भ्रमण हेतु परिवहन व्यवस्था करना।

**D. कार्यक्रम आयोजन सम्बंधी कार्य –**

I. कार्यक्रम के उद्घाटन एवं सम्मापन सम्बंधी आयोजन हेतु पांडाल, मंच, अतिथियों हेतु मोमेन्टो, बुके आदि की व्यवस्था करना।
II. कार्यक्रम के आयोजन के दोरान प्रतियोगिताओं के प्रथम/द्वितीय/तृतीय विजेताओं को दिये जाने वाले अवार्ड, प्रमाण पत्र की व्यवस्था करना।
III. दिनांक .......................... को कार्यक्रम में भाग लेने वाले लगभग 500 प्रतिदिन प्रतिभागियों/कर्मचारियों/अन्य सहायक कर्मियों के भोजन/चाय (2 बार) आदि की व्यवस्था करना।
IV. प्रचार प्रसार सामग्री यथा बैनर (कम से कम 3), निमंत्रण पत्र, प्रमाण पत्र एवं अन्य मुद्रण सामग्री।
V. कार्यक्रम की फोटोग्राफी।
VI. प्रतियोगिता कार्यक्रमों हेतु आवश्यक सामग्री।

आयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अनुमोदन उपरान्त ही गतिविधियों का आयोजन विज्ञान दिवस–2025 पर किया जाएगा।

संस्था द्वारा विज्ञान दिवस–2025 में किये जाने वाले संभावित कार्यक्रमों/गतिविधियों के आयोजन का समयानुसार समय सारणी मय अनुमानित व्यय (विभाग द्वारा अनुमोदित अधिकतम राशि से अधिक नहीं होगी) के प्रस्तुत की जायगी –जो निम्न प्रपत्र में होगी।

**प्रस्तावित गतिविधियों का विवरण**

| क्र.सं. | दिनांक | समयावधि | कार्यक्रम का प्रकार | अनुमानित लागत |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| कुल योग | | | | |

Z:\Local Disk\RSC_2024-25\NSD 2025\EOI NSD 2025 -corected.doc

(अनुलग्नक 'स')

यह अनुबंध प्रस्ताव के अनुमोदन एवं कार्यादेश जारी होने के बाद प्रस्तुत किया जाएगा

**BOND FOR GRANT-IN AID [Refer Rule 280(5)(i) ]**

**(to be execute on Non-judicial Stamp Paper of Rs. 500/-)**

A bond has been executed this ------ day of ----------------- between---------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(hereinafter called "the grantee" which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his heirs, successors, executors and administration) of the **ONE PART** and the **Governor of the state of Rajasthan** (hereinafter called "the Governor" which expression shall where the context so admits be deemed to include his successors in office and assigns ) of the **OTHER PART**.

Whereas the State Government has decided to grant of Rs. (Rupees only) as Grant-in-aid to the (Grantee) whose proper receipt has been obtained.

And where the (Grantee) shall furnish two sureties to the State Government of the reliable person.

And now the (Grantee) and sureties will abide the conditions of grant strictly as specified in the sanction No dated as under:-

1. The grant shall be utilized for the purpose for which it has been granted;
2. The target dates specified therein shall be complied with;
3. The unspent amount shall be refunded after completion of the work for which grant has been granted within a period of or unspent balance shall be adjusted at the time of granting next grant for the job; if any;

   Further whereas the (Grantee) and sureties individually and jointly will be liable to refund to the State Government, the entire amount of the grant with interest thereon as prescribed or the sum of Rs.-------

And whereas any dispute arising out of this bond and all questions relating to the interpretation of this bond shall be decided by the State Government and the decision of the State Government shall be final.

In witness where of the parties here to have set their hands on the 28 day of **Feb, 2025.**

| | |
|---|---|
| Signature of the Grantee<br>Name & Designation with Seal | Signature for and on behalf of the Governor<br>Name & Designation With Seal |
| Signature of Witness-1 | Signature of Witness-1 |
| (Name with full address)- Witness-1 | (Name with full address)- Witness-1 |
| Signature of Witness-2 | Signature of Witness-2 |
| (Name with full address)- Witness-2 | (Name with full address)- Witness-1 |

(अनुलग्नक 'द')

गैर लाभकारी संस्थायें (Not for profit organizations) जैसे NGO's / गैर सरकारी संस्थायें / सरकारी संस्थायें / शैक्षणिक संस्थाए / Research Institute **द्वारा आयोजित गतिविधियों का विवरण**

**Part-A**

| क्र.सं. | दिनांक | समयावधि | कार्यक्रम का प्रकार | कुल व्यय राशि |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

गतिविधि जो आयोजित की गई, उनके दस्तावेज, फोटो आदि संलग्न करनी होगी।

**Part-B** FUND MOBILIZATION

| S.No. | Financial Year | Funds Received/Generated (Rs. In lacs) | | Total (Col.b+Col. C) Rs. In Lacs | %age of fund mobilization (total of C/total of D X 100) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | From own source | From Government/other governmental agencies & other external sources | | |
| | | (b) | (c) | (d) | |
| 1 | 2021-22 | | | | |
| 2 | 2022-23 | | | | |
| 3 | 2023-24 | | | | |
| Total | | | | | |

1. Data is to be correlated with audited balance sheet (In case of Non. Govt. institutions only).